न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व वाद संख्या 61/2015

लाडू व अन्य बनाम गीता व अन्य

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 कास्त0 अधि01955 में

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4,6,7

आदेश दिनांक 11.12.2019

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 53,88, 188 राज0 कास्त0 अधि0 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। प्रतिवादी 4,6, 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठीत धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी अभिभाषक द्वारा प्रति दिनांक 21.07.2016 को प्राप्त की । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया ।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक के द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना में निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति रेगर निवासी आदर्श नगर अजमेर का निर्धन वादी द्वारा उक्त उनवानी वाद प्रस्तुती से पूर्व दिनांक 04.03.2013 को हो चुका है तथा वादी ने उक्त वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्व पेश कर श्रीमान न्यायालय से मृतक व्यक्ति के विरूद्व न्यायालय से दादरसी चाही है जो कि न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व किसी भी प्रकार की दादरसी दिया जाना न्यायाचित नही है। वादी ने उक्त वाद श्रीमान्के समक्ष उदघोषणा बंटवारा एवं स्थायी निषेघाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जब कि प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल का निर्धन वाद प्रस्तुती के पूर्व ही दिनांक 4.3.2013 को हो चुका है तथा वादी ने जानबूझ कर उक्त वाद में श्री महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल को मृतक होने के बावजूद उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार मुर्तिब किया है तथा न्यायालय मृतक व्यक्ति के विरूद्व उदघोषणा अथवा स्थायी निषेघाज्ञा की डिक्री पारित नही कर सकता है इस कारण उक्त वाद निरस्त किये जाने योग्य है । विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्व किसी भी प्रकार का किसी भी न्यायालय में वाद अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता । अतः उक्त वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत किये जाने के कारण विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। वादी को

Scanned by CamScanner

मृतक व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 5 महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल के विरूद्व किसी प्रकार से वाद कारण उत्पन्न नही होता है इस कारण वाद कारण के अभाव में उक्त वाद विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

वादीगण के अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7 की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम श्री महेश कुमार अंकित किया है जो गलत व मिथ्या है। प्रतिवादी संख्या 5 का सही नाम महेन्द्र कुमार है जिसका कोई अंकन अपने प्रार्थना पत्र में नही किया है। प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 4.3.2013 को होने का कथन अकित किया है लेकिन मृत्यु की तारीख के समर्थन में कोई मुत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 4.3.2013 को होने की पुष्टि नही हो सकती है प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7 पर तामिली वादीगण की ओर से दिनांक 3.7.2018 को वाद प्रस्तुत करने के बाद समय पर होने के बावजूद यह हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु के सम्बन्ध में अत्यधिक विलम्ब से पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही है। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार के सगे भाई है व प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु होने की उन्हे जानकारी जानकारी थी तो उन्हे अति शीघ्र इस बाबत सूचित करना था दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कमार की मृत्यु हो गयी तो उसकी जानकारी वादीगण को नही हुई । उक्त प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व होने के तथ्य को प्रतिवादी संख्या 4,6 व 7 विधिवत सिद्व करे । प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार की मृत्यु होने के तथ्य की जानकारी ना तो वादीगण को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व थी व ना ही आज दिन तक व ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 4,6,7 स्वय विधिवत सिद्व करे उक्त प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व हो चुकी थी। प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार की मृत्यु होने के तथ्य की जानकारी ना तो वादीगण को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व थी व ना ही आज दिन तक है व वाद में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम महेन्द्र कुमार अंकित है जबकि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र में श्री महेश कुमार नाम अंकित किया है जो सन्देहास्पद व भ्रामक है। प्रतिवादी संख्या 5 का नाम महेन्द्र कुमार स्पष्ट अंकित है जबकि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र में भी महेश कुमार नाम अंकित किया है जो सन्देहास्पद्र व भ्रामक है । वादीगण ने वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरूद्व अनतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत आराजी के बटवारा आदि के लिए दायर किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 8 राजय सरकार है व प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 व 7 व्यक्तिगत रूप से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये है इस कारण प्रतिवादी संख्या 4, 6 व 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में निरस्त करने करे ।

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 151 सी.पीसी. एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजो का अवलोकन किया । प्रार्थी प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.7.2016 के साथ मृतक पतिवादी संख्या 5 महेन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया है जिसमें मृतक की स्वर्गवास की दिनांक स्पष्ट रूप से 4.3.2013 अंकित की है तथा वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 3.2.2015 यानि लगभग दो वर्ष पश्चात पेश किया है जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त राजस्व वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्व दादरसी चाही गई। तथा साथ ही वादी अभिभाषक द्वारा आदिनांक तक मृतक प्रतिवादी संख्या 5 महेन्द्र कुमार के विधिक वारिसानो को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई चाराजोही नही की है इससे भी यह स्पष्ट होता है कि वादी अपने उक्त राजस्व वाद बाबत संवेदनशील नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रतिवादी संख्या 4, 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.13 11:55:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: